न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/11)

सन्तोख सिह पुत्र शेरसिह जाति जट सिख निवासी चक 22 पी. एस. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर। **अपीलान्ट**

बनाम

1. जीतसिह पुत्र गुरूदयाल सिह जाति जटसिख निवासी थराजवाला तहसील गिदडवा जिला मुक्तसर (पंजाब)
1/1 श्रीमती आसी देवी बेवा जीत सिह ↓ (मृतक) (नाम हटाया दिनांक 26.06.2024)
1/2 धनीराम उर्फ धनिया पुत्र जीतसिह
1/3 श्रीमती सुखपाल कौर बेवा स्व. जरनैल सिह
1/4 उदयपाल सिह पुत्र स्व. जरनैल सिह
1/5 सिम्मी पुत्री जरनैल सिह
1/6 रमनदीप पुत्री स्व. जरनैल सिह
1/7 श्रीमती चरणजीत कोर बेवा करनैल सिह
1/8 नीटू पुत्र करनैल सिह
1/9 नवजोत सिह पुत्र करनैल सिह
1/10 गुरूमीत कौर पुत्री स्व. करनैल सिह
1/11 श्रीमती बैअन्तसिह कौर पुत्री स्व. करनैल सिह
1/12 रयंती पुत्र करनैल सिह
2. श्रीमती जंगीर कौर बेवा जगरसिह जाति जटसिंख निवासी थराजवाला तहसील गिदडवा जिला मुक्तसर (मृत्यु) (नाम हटाया दिनांक 26.06.2024)
3. गुरूप्रताप सिह पुत्र श्री जगरसिह जाति जटसिख निवासी थराजवाल तहसील गिदडवा जिला मुक्तसर (मृतक)
3/1 श्रीमती बलकरणजीत कौर बेवा गुरूप्रतापसिह | जाति जटसिख निवासी थराजवाल गिदडवा
3/2 जगप्रीत सिह पुत्र स्व. गुरूप्रतापसिह
3/3 जगमीत सिह पुत्र स्व. गुरूप्रताप सिह
4. गुरूदेव सिह | पुत्रगण जगरसिह जाति जटसिख निवासी थराजवाला तहसील गिदडवा।
5. गुरूतेज सिह
6. गुरूमेल सिह
7. श्रीमती मंजीत कौर पुत्री जीतसिह पत्नी बेलासिह जाति जटसिख निवासी 60 जी.बी. तहसील अनूपगढ।
8. श्रीमती अमरजीत कौर पुत्री जीतसिह पत्नी जीतसिह जाति निवासी 29 जी बी तहसील अनूपगढ हाल विजयनगर।
9. ग्राम पंचायत 22 पी.एस.पचायत समिति रायसिहनगर।
10. तहसीलदार (राजस्व) रायसिहनगरं
11. स्वर्णकौर उर्फ किरणदीपकौर पुत्री जगरसिह पत्नी छिन्द्रपाल सिह जाति जटसिख निवासी 3 जी.बी. तहसील विजयनगर। **रेस्पोडेंट्स**

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 11
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 06.08.2024

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश ग्राम पंचायत चक 22 पी.एस. पं. सं. रायसिहनगर दिनांक 25.7.98 व जिसकी पालना मे दर्ज इंतकाल संख्या 86 तस्दीक किया गया के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने आदेश ग्राम पंचायत चक 22 पी.एस. पं. सं. रायसिहनगर दिनांक 25.7.98 व पालना मे दर्ज इंतकाल संख्या 86 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 25.7.98 एवं उसकी अनुपालना मे दर्ज इंतकाल संख्या 86 को निरस्त कर करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 11 की ओर से बालकिशन शर्मा एडवोकेट उपस्थित। शेष रेस्पोडेन्ट के निमित जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार रायसिहनगर के आदेश दिनांक 9.7.97 के आधार पर इंतकाल पत्रावली ग्राम पंचायत में सन् 1997 मे ही पहुच गई थी, ग्राम पंचायत को इस पत्रावली के पहुचने के बाद 45 दिन तक आदेश पारित करने का अधिकार था। 45 दिन बाद आदेश पारित करने का अधिकार नही था, जबकि ग्राम पंचायत ने 45 दिन की अवधि के बाद ये दौनो आदेश पारित किये है जो बिना अधिकार होने से काबिले निरस्ती है। आदेश पारित करने से पूर्व जगरसिह का देहान्त हो चुका था और यह तथ्य ग्राम पंचायत के सामने लाया जा चुका था परन्तु बावजूद मृत व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने वादगत भूमि मे अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद उपजिलाधीश रायसिहनगर में प्रस्तुत कर दिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जगरसिह दोनो पंजाब के स्थाई निवासी है और राजस्थान के मूल निवासी नही है। इस आधार पर इनके पक्ष में कोई बैयनामा निष्प्रभावी था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देकर जो आदेश पारित किया है वह उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.7.98 एवं उसकी अनुपालना में दर्ज इंतकाल संख्या 86 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पचायत में रिकार्ड के पहुचने के बाद सभी तरह की कार्यवाही करके तथा देनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर 45 दिन में निर्णय पारित कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा परित आदेश उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेनट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 22, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) रायसिहनगर द्वारा प्रकरण दिनांक 09.07.1997 को विधिवत निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा संबधित हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर तत्समय प्रकरण को 30 दिवस में निर्णित किया जाना था। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 25.07.1998 को निर्णित किया गया यानि तहसीलदार के निर्देशो के एक साल बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण प्रकरण निर्णित किया गया। इतनी लंबी अवधि तक नामान्तरकरण प्रकरण लंबित रहना व 30 दिन की अवधि के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किया जाना विधिनूकुल नही कहा जा सकता है। साथ ही पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा समस्त हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई का भी अभाव पाया गया है। उक्त विवेचन के मध्यनजर ग्राम पंचायत 22 पी एस पंचायत समिति रायसिहनगर का निर्णय दिनांक 25.07.1998 स्थापित विधि के परिपेक्ष्य मे उचित नही पाया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चक 22 पी.एस. पं. सं. रायसिहनगर निर्णय दिनांक 25.07.1998 व इंतकाल संख्या 86 दिनांक 10.08.98 निरस्त किए जाते है। तहसीलदार रायसिहनगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त हितबद्व पक्षकारान की सुनवाई की जाकर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करे। तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा प्रकरण के उक्तानुसार निस्तारण तक अपील में वर्णित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखी जावे व अपील मे वर्णित भूमि का अन्तरण नही किया जावे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर